वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

सीएसआईआर
CSIR
भारत का नवाचार इंजन
*The Innovation Engine of India*

2025
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियाँ एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

No. 4-10(39)/2026/HR-II Dated 19.08.2026

प्रेषक,
संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में,
सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख

विषय: सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों द्वारा ऑनलाइन गेस्ट हाउस बुकिंग प्रणाली को अपनाने के संबंध में।

महोदया/महोदय,

आपका ध्यान सीएसआईआर मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 25.03.2025 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके माध्यम से सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाएं/संस्थान/इकाइयों को, उक्त पत्र में उल्लिखित शर्तों और नियमों के अधीन, ऑनलाइन गेस्ट हाउस बुकिंग प्रणाली को अपनाना सुनिश्चित करने की विनती की गई थी|

हालाँकि, यह देखा गया है कि जहाँ कुछ सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों ने गेस्ट हाउस के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली अपना ली है, वहीं कुछ सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है।

यह निर्णय लिया गया है कि एसी सभी CSIR प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों, जहाँ ऑनलाइन गेस्ट हाउस बुकिंग प्रणाली अभी तक लागू नहीं की गई है, को ऑनलाइन गेस्ट हाउस बुकिंग प्रणाली अपनानी चाहिए जिससे बुकिंग प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, परिचालन दक्षता और आसानी सुनिश्चित की जा सके।

उपयोगकर्ताओं से समय-समय पर यह फीडबैक मिल रहा है कि गेस्ट हाउस (GH) बुकिंग पोर्टल पर खाली कमरों की स्थिति उपलब्ध नहीं होती है। अतः, सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों को यह सलाह दी जाती है कि संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई के निदेशक के विवेकाधीन कोटे (discretionary quota) के तहत विशेष रूप से आरक्षित कमरों को छोड़कर, पोर्टल के आर्किटेक्चर में उचित बदलाव करके ऐसे प्रयास किए जाएं ताकि शेष गेस्ट हाउस कमरों की ऑक्यूपेंसी/खाली होने की स्थिति पोर्टल पर उपलब्ध हो और ऐसे कमरों को बुकिंग के लिए उपलब्ध के रूप में चिह्नित किया जा सके। इससे गेस्ट हाउस बुकिंग पोर्टल अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल (user-friendly) बनेगा और पारदर्शिता में सुधार होगा।

आप से अनुरोध है कि इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (ATR) 31 अगस्त 2026 तक सीएसआईआर मुख्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,
यज्ञेश त्रिवेदी 19/08/26
(यज्ञेश आर त्रिवेदी)
अवर सचिव, HR-II

प्रतिलिपि:

1. कार्यालय, महानिदेशक, सीएसआईआर
2. कार्यालय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर
3. कार्यालय, संयुक्त सचिव (प्रशासन), सीएसआईआर
4. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर
5. विधि सलाहकार, सीएसआईआर
6. सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
7. सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के वरिष्ठ वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखा अधिकारी
8. प्रमुख, IT डिवीजन, सीएसआईआर मुख्यालय – इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को सीएसआईआर वेबसाईट पर प्रदर्शित करें|
9. कार्यालय प्रति